FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): STATE VIGILANCE BUREAU   P.S. (थाना): SVB ROHTAK   Year (वर्ष): 2022

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0002   Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 13/01/2022 14:53 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	34
3	IPC 1860	406
4	IPC 1860	409
5	IPC 1860	420
6	IPC 1860	506
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13
8	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन):   Date from (दिनांक से):   Date To (दिनांक तक):

Time Period (समय अवधि):   Time From (समय से):   Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):   Date (दिनांक): 13/01/2022   Time (समय): 14:10 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):   Entry No. (प्रविष्टि सं.): 009   Date and Time (दिनांक और समय): 13/01/2022 14:21 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): EAST, 50 Km(s)   Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): RAM NIWAS

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 17/05/1970   (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):   Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g)

ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	GOHANA, Indergarhi, GOHANA SADAR, SONIPAT, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	GOHANA, Indergarhi, GOHANA SADAR, SONIPAT, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9992380611

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	धर्मबीर दहिया सेवानिवृत मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग हरियाणा			1. 26,सैक्टर 01 रोहतक,ROHTAK,HARYANA,INDIA
2	सिदान्त दहिया		Father's Name: धर्मबीर दहिया	1. 26,सैक्टर 01 रोहतक,ROHTAK,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा में प्रबन्धक थाना,राज्य चौकसी ब्यूरो,रोहतक मण्डल, रोहतक। श्रीमान जी, अनुरोधपूर्वक लिखा जाता है। कि श्री राजेश गुप्ता, माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,सोनीपत द्वारा दिनांक 26.02.2021 को जारी आदेश की प्रति दिनांक 05.03.2021 को राज्य चैकसी ब्यूरो, रोहतक में प्राप्त हुई थी। माननीय न्यायालय द्वारा जारी उक्त आदेश में वर्णित किया गया था कि सतीश कुमार गुप्ता, उम्र 62 वर्ष, सुपुत्र श्री किशन गुप्ता निवासी मकान संख्या 344, वार्ड संख्या 22, रूप नगर, मिल्टन फैक्ट्री के समीप, सोनीपत, जो कि हरियाणा सरकार के अधीन अधिकृत ठेकेदार है, को मेवात जिले में परीक्षा/बहुउद्देशीय हॉल, कैन्टीन ईत्यादि के निर्माण कार्य तथा जिला नुंह में न्यायिक अधिकारियों के आवासीय मकानों के निर्माण कार्य का ठेका राशि रूप्यें 1,78,58,549/- व रूप्यें 7,53,34,413/- में क्रमशः दिया गया था। उक्त सतीश ठेकेदार द्वारा आरोपी धर्मबीर दहिया, सेवानिवृत मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, भवन एवं सड़क, हरियाणा, तत्कालीन अधीक्षक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, भवन एवं सड़क, रेवाड़ी, निवासी मकान संख्या 26, सैक्टर-01, रोहतक के अधीन उक्त निर्माण कार्यों को पूर्ण किया गया था। आरोपी धर्मबीर दहिया द्वारा सोनीपत में रिश्वत के रूप में ठेके की राशि के 05 प्रतिशत कमीशन की मांग उक्त सतीश कुमार ठेकेदार से की गई थी और धमकी दी गई थी कि यदि आरोपी धर्मबीर दहिया को उक्त कमीशन नही दिया गया तो आरोपी उक्त ठेकेदार को उक्त निर्माण कार्य पूर्ण नही करने देगा। जिस पर उक्त सतीश कुमार ठेकेदार द्वारा आरोपी धर्मबीर सिंह को भयभीत होकर रिश्वत की राशि दी गई थी। आरोपी धर्मबीर दहिया द्वारा उक्त सतीश कुमार ठेकेदार को बतलाया गया था कि आरोपी धर्मबीर दहिया जल्दी ही पदोन्नत होने वाला है तथा आरोपी धर्मबीर दहिया उक्त सतीश कुमार ठेकेदार को अन्य ठेके दिलवा देगा, जिस पर आरोपी धर्मबीर दहिया द्वारा उक्त सतीश कुमार ठेकेदार से किस्तों में रिश्वत के रूप में रूप्यें 30,00,000/- सौनीपत में प्राप्त किए गए थे। परन्तु आरोपी धर्मबीर दहिया द्वारा अपने किए गए वायदे अनुसार उक्त सतीश कुमार ठेकेदार को अन्य कोई ठेका नही दिया गया। जिस पर जब उक्त सतीश कुमार ठेकेदार ने आरोपी धर्मबीर दहिया के घर जाकर रिश्वत के रूप में दिए गए उक्त रूप्यें 30,00,000/- वापिस मांगे तो आरोपी धर्मबीर दहिया व आरोपी के पुत्र सिद्धान्त दहिया, प्रोपराईटर, सिद्धार्थ टेक्नोकराफट्स एण्ड कम्पनी, सैक्टर -01, रोहतक ने कहा कि उनके द्वारा नई कम्पनी सिद्धार्थ टेक्नोकराफट्स एण्ड कम्पनी खोली गई है, आरोपीगण उक्त सतीश गुप्ता के लड़के दीपक गुप्ता को उक्त कम्पनी में 50 प्रतिशत का हिस्सेदार बना देंगे। तत्पश्चात आरोपीगण उक्त सतीश कुमार ठेकेदार के घर पर आए और मुनाफे में बराबर की हिस्सेदारी देने का आश्वासन देकर कुछ पैसे मांगे। जिस पर उक्त सतीश कुमार गुप्ता द्वारा युनियन बैंक ऑफ इंडिया, पुराने उपायुक्त कार्यालय की तरफ जाने वाली सड़क, सोनीपत से अपने बैंक खाते से आर.टी.जी.एस. के माध्यम से दिनांक 02.08.2017 को रूप्यें 06 लाख व दिनांक 07.05.2018 को रूप्यें 25 लाख आरोपीगण की कम्पनी के खाते में जमा करवाए गए थे। इसके पश्चात उक्त सतीश कुमार ठेकेदार द्वारा आरोपीगण से कम्पनी में हिस्सेदारी के दस्तावेज व मुनाफे का हिसाब मांगा गया तो आरोपीगण द्वारा कोई सन्तोषजनक जवाब नही दिया गया। उक्त सतीश कुमार ठेकेदार द्वारा बार-2 पूछे जाने पर आरोपीगण द्वारा कहा गया कि उनकी कम्पनी में उक्त सतीश कुमार ठेकेदार या उक्त सतीश कुमार के लड़के दीपक गुप्ता का कोई हिस्सा नही है। आरोपी धर्मबीर दहिया द्वारा अपने पद का दबाव बनाकर उक्त सतीश ठेकेदार से रिश्वत के रूप में रूप्यें लिए गए हैं तथा अपने लड़के सिद्धान्त की मिलीभगत से उक्त सतीश कुमार ठेकेदार से रूप्यें ठगे गए है, अमानत में ख्यानत की गई है तथा आरोपीगण द्वारा उक्त सतीश गुप्ता ठेकेदार व इसके लड़के को जान से मरवाने की धमकी भी दी गई है। श्री राजेश गुप्ता, माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सोनीपत द्वारा अपने दिनांक 26.02.2021 के आदेश में धाराधीन 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आरोपीगण के विरूद्ध थाना राज्य चैकसी ब्यूरो, रोहतक में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने उपरान्त नियमानुसार अनुसंधान किए जाने के निर्देश दिए थे। जिस पर इस सम्बन्ध मे अग्रिम कार्यवाही किए जाने के आदेश दिए जाने के लिए पत्राचार किया जाने पर कार्यालय मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 26/26/2021-2 चौकसी-1 दिनांक 07.12.2021 की अनुपालना में कार्यालय महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला के पृष्ठांकन 18921/आई.-5/रा.चौ.ब्यूरो (हरि.) दिनांक 09.12.2021 के अनुसार आरोपीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किए जाने के निर्देश प्राप्त होने पर यह लेख आरोपियों (1). धर्मबीर दहिया, सेवानिवृत मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, भवन एवं सड़क, हरियाणा, तत्कालीन अधीक्षक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, भवन एवं सड़क, रेवाड़ी, निवासी मकान संख्या 26, सैक्टर-01, रोहतक व (2). सिद्धान्त दहिया पुत्र धर्मबीर दहिया निवासी मकान संख्या 26, सैक्टर-01, रोहतक के विरूद्ध धाराधीन 420,409,406,506,120बी,34 भा.द.सं. व 07, 13 (उस समय प्रचलित) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किए जाने के लिए सम्बन्धित दस्तावेजों सहित, पृष्ठ संख्या 01 से 95 तक आपके पास भेजी जा रही है। उपरोक्त दोषीगण के अतिरिक्त यदि अन्य किसी व्यक्ति की भूमिका पाई जाए तो उसे भी अनुसंधान के दौरान देख लिया जाए। sd-हस्ता अंग्रेजी(रामनिवास)निरीक्षक,राज्य चैकसी ब्यूरो, रोहतक दिनांक 17.12.2021 अज थाना:- हस्ब आमद तहरीर के थाना में प्राप्त होने पर मु0 न0 2 दि0 13.01.2022 जुर्म जेर धारा 420,409,406,506,120बी,34 भा.द.सं. व 07,13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक दर्ज रजिस्टर किया जाकर अफसरान बाला को बजरीया मेल दवारा सूचना दी गई। नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर मय सम्बन्धित कागजात पेज न0 01 से 95 व SP साहब द्वारा नियुक्त अनुसंधान अधिकारी नि0 फूल कुमार उपकेन्द्र राज्य चौकसी ब्यूरो, सोनीपत के हवाले कि जाएगी व सि0 नसीब कुमार न0 1731/झज्जर के हवाले स्पेशल रिपोर्ट की जाकर डयूटी मैजिस्ट्रेट साहब सोनीपत को देने के लिये मुनासिब हिदायत देकर रवाना किया गया। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक रामनिवास रा0चौ0ब्यूरो रोहतक की हाजरी मे दर्ज रजिस्टर किया गया है।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** PHOOL KUMAR **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): PSI to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): रामनिवास

Rank (पद): निरीक्षक

No. (सं.): 231 / JJR

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):